इलेक्ट्रिक-व्हीकल पॉलिसी-2022 हुई अधिसूचित

चर्चा में क्यों?

17 नवंबर, 2022 को हरियाणा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण ने बताया कि राज्य के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने इलेक्ट्रिक-व्हीकल पॉलिसी-2022 को अधिसूचित कर दिया है, जिसके तहत 12 योजनाओं को लाइव किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- आनंद मोहन शरण ने बताया कि इलेक्ट्रिक-व्हीकल पॉलिसी का उद्देश्य राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों और उनके घटकों के निर्माण को बढ़ावा देना है। इस पॉलिसी के बनने से इलेक्ट्रिक-व्हीकल के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा मिलेगा।
- इसमें आधारभूत संरचना को मज़बूत करने के अलावा इलेक्ट्रिक-वाहनों की अग्रिम लागत को कम करने के लिये प्रावधान भी किये गए हैं, जिससे हाइब्रिड ईवी के खरीदारों को प्रोत्साहन भी मिलेगा।
- इलेक्ट्रिक-व्हीकल पॉलिसी में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिये जिन 12 योजनाओं को लाइव किया गया है, उनमें खरीदारों के लिये खरीद प्रोत्साहन, चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन योजना, शुद्ध एसजीएसटी प्रतिपूर्ति योजना, पूंजीगत सब्सिडी योजना, रोज़गार सृजन अनुदान योजना, विद्युत शुल्क छूट योजना, स्टाम्प शुल्क प्रतिपूर्ति योजना, पेटेंट शुल्क प्रतिपूर्ति योजना, आर एंड डी प्रोत्साहन, मानव क्षमता निर्माण उत्कृष्टता केंद्र योजना, बीज एवं परिवर्तन निधि योजना, जल उपचार प्रोत्साहन योजना शामिल हैं।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/electric-vehicle-policy-2022-1